BCCI BULLETIN
Vol. XXXXVII | 31st October 2016 | No. 10
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित

समारोह का समवेत रूप से विधिवत उद्घाटन करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेज प्रताप यादव, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, माननीया सांसद श्रीमती हेमा मालिनी, माननीय पूर्व सांसद श्री शिवानन्द तिवारी, जिलाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं समारोह के संयोजक-सह-महामंत्री श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने स्थापना के गौरवपूर्ण 90वीं वर्षगांठ के समारोह के क्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार एवं पटना जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 (मंगलवार) को स्थानीय श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। दीपावली मिलन समारोह में सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, अभिनेत्री एवं माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी एवं उनके ग्रुप द्वारा मनमोहक ''द्रौपदी'' बैले नृत्य की प्रस्तुति दी गयी।

इस समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत उद्घाटन माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री तेज प्रताप यादव, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, माननीय सांसद हेमा मालिनी, पूर्व सांसद श्री शिवानन्द तिवारी, चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह एवं जिलाधिकारी श्री संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा हुआ।

इस अवसर पर माननीय कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री श्री शिव चन्द्र राम, माननीय सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा, माननीय विधायक श्री भोला यादव, माननीय पूर्व विधायक श्री गंगा प्रसाद, माननीय विधायक श्री नीतिन नवीन, माननीय महापौर श्री अफजल इमाम, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्नि शाम सेवायें श्री पी० एन० राय, प्रधान सचिव, वित्त विभाग श्री रवि मित्तल, आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग श्रीमती हरजौत कौर, प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग श्री चैतन्य प्रसाद के अतिरिक्त राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण, चैम्बर के माननीय सदस्यगण सहित प्रेस एवं मीडिया के बन्धुगण काफी संख्या में उपस्थित थे।

मंच पर आसीन अति विशिष्ठ अतिथियों का अभिनन्दन चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने पुष्प गुच्छ देकर किया।

इसके उपरांत माननीया सांसद हेमा मालिनी को चैम्बर की ओर से ''यक्षणी'' की प्रतिमा तथा शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार सरकार एवं चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में दीपावली मिलन समारोह भव्यता के साथ दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को स्थानीय श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्पन्न हुआ। यह कार्यक्रम चैम्बर की स्थापना के गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले क्रमिक आयोजनों में से एक था। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, अभिनेत्री एवं सांसद श्रीमती हेमा मालिनी एवं उनके समूह के द्वारा ''द्रौपदी डांस वैले'' की मनमोहक प्रस्तुति हुई। सदैव की भांति इस कार्यक्रम की सफलता में आप सभी सदस्यों से मिले सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद।

सरकार ने अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में नागरिकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए ''लोक संवाद कार्यक्रम'' शुरु करने के फैसले को मंजूरी दी है। आशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सद्प्रयास का प्रतिफल काफी अच्छा होगा।

उद्यमियों की समस्याओं से अवगत होने के लिए पूर्व की भांति सोमवार दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ''उद्यमी पंचायत'' आयोजित हुई इसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से भी उद्यमियों की समस्याओं को रखा गया एवं सम्बन्धित सुझाव भी दिये गये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी समस्याओं एवं सुझावों पर विचार करने और सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपका

ओ० पी० साह

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि आज के इस दीपावली मिलन समारोह जिसका आयोजन बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, जिला प्रशासन पटना एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वाधान में दीपावली के शुभ अवसर पर एवं चैम्बर के 90वीं वर्षगांठ के समारोह के क्रम में मनाया जा रहा है।

आज के इस कार्यक्रम की शोभा देश के शीर्ष कलाकारों में एक माननीया सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं जिन्होंने स्वयं अपने ग्रुप के साथ ''द्रौपदी वैले'' कार्यक्रम प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। इसके पूर्व करीब 20 साल पहले माननीया हेमा जी का इसी सभागार में ''मीरा वैले'' का मंचन हुआ था। प्रस्तुत किये जाने वाले ''द्रौपदी वैले'' कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण का चित्रण किया गया है जो कि आज समय की मांग है। आज का यह कार्यक्रम राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग से ही संभव हो पाया है।

माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने यह भव्य आयोजन किया है जो काफी सराहनीय कार्य है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली बार हेमा मालिनी जी का लाईव परफॉरमेन्स देखने का मौका मिला है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स 90 वर्ष पूरे कर चुका है। बिहार के विकास में चैम्बर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं चैम्बर को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। बिहार को दूसरे राज्यों द्वारा बदनाम किया जाता है। यहाँ की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बिहार की सर्वांगीण उन्नति हो, आपके सपनो का बिहार बने।

उन्होंने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर चल पड़ा है। इसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की औद्योगिक नीति, सिंगल विण्डो सिस्टम अन्य राज्यों से काफी बेहतर है, निवेश के अनुकूल माहौल है फिर भी उद्योग की कमी है। अगर आपलोग चाहेंगे तो सब संभव हो सकता है। इसके लिए मैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रयास करने का आग्रह करूँगा। बिहार में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम पर जो जिम्मेवारी सौंपी गयी है, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसके साथ ही उप-मुख्यमंत्री ने सबों को दीपावली और छठ की बधाई दी।

माननीय कला, संस्कृति एवं युवा मंत्री श्री शिवचन्द्र राम ने इस कार्यक्रम के अवसर पर सबों को दीपावली की बधाई दी।

पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने माननीया सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी की नृत्य कला एवं स्वभाव की काफी प्रशंसा की। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों में बिहार को बदनाम किया जाता है। यहाँ की छवि खराब की जाती है परन्तु हेमा जी को पता चल गया होगा कि बिहार के लोग कलाकारों की कितनी इज्जत करते हैं। हेमा जी ने बिहार आकर उन सभी मिथकों को तोड़ दिया।

कार्यक्रम के मध्य में माननीय सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा भी मंच पर पधारे और सबों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो कार्ड पाकर हेमा जी का नृत्य देखने आ गया। हेमा जी मेरी मित्र हैं, कई फिल्मों में हमने साथ-साथ काम किया है। बिहार चैम्बर के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम काफी शानदार है। उन्होंने सबों को दीपावली की शुभकामनाएँ दी।

आखिर में चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन जी के अनुरोध पर श्री सिन्हा ने अपना फेवरेट डॉयलाग ''खामोश'' बोल कर सबों को हंसा दिया। बिहार चैम्बर की ओर से माननीय सांसद को चैम्बर अध्यक्ष ने प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

कार्यक्रम का आगाज गणेश बन्दना के साथ हुआ। महाभारत की कहानियों पर आधारित हेमा जी व उनके समूह द्वारा नृत्य नाटिका में द्रौपदी के सम्पूर्ण जीवन की कथा को बहुत ही संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया। द्रौपदी स्वयंवर, वनवास, द्युत क्रीड़ा, चीर हरण समेत कई एपिसोड को बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाकारों ने प्रस्तुत किया।

पूरे महाभारत के दौरान द्रौपदी की क्या भूमिका रही और किस प्रकार महाभारत का धर्मयुद्ध का वह कारण बनी, इन सभी दृश्यों ने दर्शकों का मन मोह लिया। ऐसा लग रहा था, मानों दो युग आपस में एकाकार हो रहे हों। दर्शकों को हेमा जी की हर अदा में द्रौपदी की आकांक्षाएँ और दर्द की अनुभूति हुई। वहीं वस्त्र सज्जा एवं प्रकाश व्यवस्था भी अद्भुत थी। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों का परिचय कराया गया।

इस अवसर पर माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे बिहार काफी पसंद है, खासकर बिहार के लोग। बिहार के लोग काफी कला और संस्कृति प्रेमी हैं। बिहार के कलाकारों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ काफी मधुर संबंध हैं। बिहार के लोगों का प्यार और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का आग्रह ही है जिसके चलते पटना में बतौर कलाकार परफार्म करने चली आयी।

उन्होंने कहा कि मैं 11 साल पूर्व पटना आयी थी। महाभारत में द्रौपदी का किरदार मुझे काफी रोचक लगा। उसके बाद इस पर काम शुरू किया। महाभारत हुए सदियाँ बीत गयी, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण जारी है। उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का यहाँ कार्यक्रम हेतु बुलाने के लिए धन्यवाद दिया एवं 90वीं वर्षगाँठ की शुभकामनाएँ दी।

इस अवसर पर आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।

दीपावली मिलन समारोह एवं चैम्बर के 90वीं वर्षगाँठ उत्सव समिति के संयोजक सह महामंत्री श्री शशि मोहन के अलावे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डा० रमेश गाँधी तथा उच्चस्तरीय आयोजन समिति के सदस्यगणों ने समारोह में सक्रिय भूमिका निभाई।

श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

दीपावली मिलन समारोह तो समाप्त हो गया परन्तु हेमा जी की नृत्य नाटिका एवं अन्य एपीसोड लोगों के स्मृति पटल पर कई वर्षो तक अंकित रहेगी।

दीपावली मिलन समारोह की झलकियाँ

श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में नृत्य नाटिका 'द्रौपदी' में उपस्थित महानुभाव

नृत्य नाटिका 'द्रौपदी' की मुख्य भूमिका में श्रीमती हेमा मालिनी जी की मनमोहक भंगिमाएँ

चैम्बर में जीएसटी पर संगोष्ठी आयोजित

संगोष्ठी को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकरनाथ बरेरिया, उनकी दाँयी ओर क्रमशः चैम्बर महामंत्री श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष डॉ रमेश गाँधी। बाँयी ओर टैली सौल्यूशन्स प्रा० लि० के जोनल हेड श्री सुमन चक्रवर्ती, सहायक बिजनेस मैनेजर श्री अंशुमन झा एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं टैली सॉल्यूशन्स प्रा० लि० के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 को चैम्बर सभाकक्ष में वस्तु एवं सेवा कर (GST) पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने की।

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया ने टैली सॉल्यूशन्स प्रा० लि० के जोनल हेड श्री सुमन चक्रवर्ती एवं सहायक बिजनेस मैनेजर श्री अंशुमन झा को जीएसटी पर संगोष्ठी में सहयोग हेतु हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी 1 अप्रैल, 2017 से लागू होने वाली है। जीएसटी लागू होने से देश की कर व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी टैक्स कलेक्शन का फायदा उत्पादक राज्यों को मिलता है, जबकि नई व्यवस्था में इसका लाभ सीधे उपभोक्ता को मिलेगा। बिहार को जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में बहुत फायदा होने जा रहा है। छोटे-छोटे व्यवसायियों की गतिविधियाँ आसान हो जायेंगी। इसके बाद श्री बरेरिया ने टैली सॉल्यूशन्स को विस्तार से जानकारी देने का अनुरोध किया।

टैली सॉल्यूशन्स के जोनल हेड श्री सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि जीएसटी वर्तमान कर के बोझ को कम करेगा। अभी व्यापारी जितने प्रकार के टैक्स देते हैं, जीएसटी लागू होने पर अधिकतर वस्तुओं पर कम टैक्स देना पड़ेगा। इससे न सिर्फ व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि लोगों को भी सस्ते का लाभ मिलेगा।

श्री चक्रवर्ती ने बताया कि जीएसटी बिहार में मौजूदा टैक्स प्रणाली के समान है। जीएसटी से छोटे उद्यमियों एवं व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा। जीएसटी की प्राधिकृत समिति ने कई केन्द्रीय करों को जीएसटी में समाहित करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें केन्द्रीय उत्पादन कर, अतिरिक्त उत्पादन कर, मेडिसिनल एण्ड टॉयलेंटरीज प्रीपरेशन एक्ट के तहत लगने वाला उत्पाद कर, सेवा-कर, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सरचार्ज आदि शामिल है। साथ ही राज्य में लगने वाले कर यथा वैट/बिक्री-कर, मनोरंजन-कर, बिलासिता-कर, लॉटरी बाजी-सट्टा तथा जूए पर लगने वाले कर और इन्ट्री टैक्स को जीएसटी में समाहित करना भी प्रस्तावित है।

श्री अंशुमन झा, सहायक बिजनेस मैनेजर, टैली सॉल्यूशन्स ने कहा कि जीएसटी डाटा जमा करते समय सावधानी रखनी होगी क्योंकि एक बार डाटा जारी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं होगा। यही है जीएसटी की विशेषता। श्री झा ने आगे कहा कि अभी तो डाटा में कुछ कमियाँ होने के बाद भी वैट जमा हो जाती थी और बाद में विभाग में जाकर त्रुटियों/कमियों का सुधार होता था। जीएसटी में ऐसा सम्भव नहीं होगा। देश में जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य है व्यावसायियों द्वारा उपलब्ध डाटा को संचित रखना। अगर कोई विवाद होगा, तो इसके लिए आईटी विभाग से सम्पर्क करना होगा। जीएसटी का नम्बर पैन कार्ड के हिसाब से होगा। जीएसटी फार्म भरने के कुछ दिनों बाद नम्बर आयेगा। जीएसटी महीने के 10 तारीख को फाईल करनी होगी।

चैम्बर के महामंत्री श्री शशि मोहन ने अपने सम्बोधन में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) जब लागू हो जाएगा तो बिहार के लिए एक बड़े बदलाव का समय होगा। विशेषतौर पर करों के सरलीकरण की दिशा में बड़ा बदलाव लेकर जीएसटी आयेगा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगा क्योंकि बिहार एक बड़ा उपभोक्ता राज्य है। जीएसटी के मुताबित टैक्स शेयर उन राज्यों को ज्यादा मिलेगा, जहाँ उत्पाद की अधिक खपत है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी के बारे में अभी इतना ही कहा जा सकता है कि उपभोक्ता राज्य को लाभ होगा।

चर्चा के दौरान यह कहा गया कि किस उत्पाद पर कितना लाभ मिलेगा, यह अभी निश्चित नहीं है। इस दिशा में अंतिम रूप से प्रारूप आदि तैयार होना है। अभी जिन राज्यों में उत्पादन होता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि की कुछ आपत्तियाँ हैं। कुल मिलाकर अभी स्थिति स्पष्ट होनी शेष है।

इस संगोष्ठी में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, वैट उप समिति के संयोजक श्री डी० बी० गुप्ता, सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार सहित चैम्बर के सदस्यगण एवं प्रेस बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर कार्रवाई होगी

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने वस्तुओं की कीमतें अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक लिए जाने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए और सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी।

यहाँ करें शिकायत : • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन : टोल फ्री नंबर : 1800114000, टोल नंबर : (मामूली शुल्क) : 011-23708391 एसएमएस : 81300 03809 ईमेल : consumerhelpline.gov.in

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.10.2016)

दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को आयोजित उद्यमी पंचायत में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा समर्पित सुझाव

सर्वप्रथम मैं राज्य के समस्त उद्यमियों की ओर से आपके वर्त्तमान कार्यकाल की द्वितीय उद्यमी पंचायत आयोजित करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम आपका इसलिए भी अभिनंदन करते हैं कि आपने पूर्व की भाँति उद्यमी पंचायत की व्यवस्था आगे भी जारी रखने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपके एवं आपकी सरकार के अनुगृहित हैं कि सरकार ने क्रमश: दिनांक 1.9.2016 एवं 7.9.2016 समेकित बिहार औद्योगिक नीति-2016 एवं स्टार्ट-अप नीति लागू कर दिया है। इसके साथ ही State Investment Promotion Board को संवैधानिक दर्जा देते हुए इसे अधिकार सम्पन्न बनाया है जिससे उद्यमियों को तय समय सीमा में अपने द्वारा प्रस्तावित उद्योग स्थापना में सभी वैधानिक clearance प्राप्त हो सकेगा और यह राज्य में Ease of Doing Business के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप अभी हाल में ही जारी रिपोर्ट में राज्य को Ease of Doing Business में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं राज्य सरकार को बधाई देता हूँ।

राज्य के उद्योग जगत का यह मानना था कि Bihar Industrial Policy-2011 एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2008 देश में सर्वोत्तम थी और उसे ही आगे विस्तारित करने का हमने अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद बिहार औद्योगिक नीति-2016, स्टार्ट-अप नीति इत्यादि बनाई है, जो कि निश्चित रूप से निवेशकों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करेगी। इसके साथ ही सरकार ने 500 करोड़ रूपये का Venture Capital Fund बनाने का भी निर्णय लिया है। यह भी उद्योग स्थापना के क्षेत्र में नये एवं युवा उद्यमियों के लिए काफी सहायक होगी।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण एवं सरकार की नयी नीतियों से राज्य में हमलोग नये निवेश को आकर्षित करने में सफल होंगे। इस संदर्भ में हमारे कुछ सुझाव हैं:-

1. सरकार की स्पष्ट मंशा के अनुरूप Sub Ordinate Officers का सहयोग उद्यमियों एवं व्यवसायियों को अपेक्षित है जिसका अभी अभाव देखने को मिलता है। अत: अनुरोध है कि Delivery System को प्रभावी किए जाने की आवश्यकता है।

2. बिहार औद्योगिक नीति-2016 के अनुसार सरकार द्वारा Term Loan पर Interest Subvention के रूप में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है इससे निश्चित रूप से नयी औद्योगिक ईकाईयों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बैकों का रवैया राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के प्रति नकारात्मक रहा है और आज भी इसमें सुधार नही हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पूर्णत: बैकों के Term Loan के भरोसे राज्य में औद्योगीकरण होगा, ऐसा संभव प्रतीत नही होता है। इस संदर्भ में हमारा निवेदन है कि जो उद्यमी अन्य स्रोतों से यथा Public Issue, Debentures, Share Holders से ऋण के माध्यम से पूंजी एकत्रित कर उद्योगों की स्थापना करें उन्हें भी Interest Subvention की तर्ज पर Plant and Machinery में लगी पूंजी का 10% प्रतिवर्ष अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है।

इस परिस्थिति में स्वतंत्र एजेन्सी से Project cost का मूल्यांकन कराया जा सकता है ।

3. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 में उद्योगों को बिजली कंपनियों को AMG/MMG के भुगतान से छूट प्राप्त थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि Total Connected Load से बिजली की आपूर्ति की मात्रा कम थी। आज भी राज्य का Total Connected Load लगभग 8500 MVA है लेकिन आपूर्ति लगभग 3000 MVA ही हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारा अनुरोध होगा कि AMG/MMG की छूट को पुन: लागू करना समीचिन होगा। AMG/MMG का वित्तीय भार इतना अधिक हो जाता है कि जिसका वहन करना औद्योगिक इकाईयों के लिए असंभव सा हो जाता है। परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाईयां रूग्ण हो सकती हैं ।

4. महोदय, वैसी औद्योगिक ईकाईयाँ जिन्हें SIPB द्वारा पूर्व में Approval मिल चुका है लेकिन अन्य कोई कार्रवाई विभागीय स्तर पर लंबित हो तो उन्हें भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 के कंडिका 8 के अंतर्गत समावेश करने का अनुरोध करते हैं ।

5. अनुदान प्रतिपूर्ति हेतु online व्यवस्था किये जाने से उद्यमियों को सहुलियत होगी।

6. नयी औद्योगिक नीति, स्टार्ट-अप नीति के समुचित प्रचार-प्रसार के लिए एवं निवेशकों को आकृष्ट करने हेतु विभिन्न राज्यों में Road Show का आयोजन एवं विदेश में बसे प्रवासी बिहारियों द्वारा राज्य में निवेश के लिए विदेशों में भी Road Show/ Investor Meet इत्यादि आयोजित किए जा सकते हैं ।

7. Price Preference Policy का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु Effective System लागू किया जाना चाहिए। विभागों में इस हेतु अधिकारियों की Accountability Fix की जानी चाहिए। विभागों के क्रय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि Turn Key Projects के Successful Bidders अपने सामग्रियों का क्रय खरीद अधिमानता नीति के अंतर्गत स्थानीय उद्योगों से ही करने को बाध्य हों।

8. आयकर अधिनियम के तहत वर्ष 2016-17 में अंकेक्षण के लिए अनिवार्यता सकल आवर्त्त को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है। पूर्व में भी VAT अंकेक्षण की सीमा तर्क संगत रखते हुए एक करोड़ किया गया था। अत: VAT अंकेक्षण के लिए भी सकल आवर्त की अनिवार्य सीमा को एक करोड़ से बढ़ा कर दो करोड़ किया जाना चाहिए।

9. महोदय, राज्य में आधारभूत संरचना के लिए आपके द्वारा कई महत्वाकांक्षी प्रयोजनाओं पर काम हो रहा है। इसमें Remarkable Improvement भी हुआ है, लेकिन महात्मा गाँधी सेतु की स्थिति को देखते हुए सोनपुर-दीघा रेलवे पुल-सह-सड़क को अविलंब चालू कराने की आवश्यकता है।

10. महोदय, कनीय पदाधिकारियों द्वारा सरकार की भावनाओं के विरूद्ध कार्य करने के एक-दो मामले आपके संज्ञान मे लाना चाहते हैं:-

क. गया नगर निगम द्वारा पावरलूम उद्योग चलाने वाले उद्यमी को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के अन्तगर्त ''भयावह व्यवसाय'' घोषित करते हुए अनुज्ञा प्राप्त करने का नोटिस निर्गत किया गया।

ख. कपड़ा पर राज्य में वैट अधिरोपित किया गया है। इस संदर्भ में चैम्बर ने कपड़ा व्यवसायियों के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष Compounding हेतु सुझाव रखा, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा भी की थी। चैम्बर के सुझाव पर बड़ी संख्या में कपड़ा व्यवसायियों ने वैट के अन्तर्गत अपना निबंधन करा लिया है। हाल में ऐसी सूचना मिली है कि वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों द्वारा वैट के अन्तर्गत निर्बंधित कपड़ा व्यवसायियों के यहाँ सर्वे किया गया है। जिन व्यवसायियों द्वारा अभी तक निबंधन नहीं कराया गया है, उनके यहाँ तो सर्वे किए जाने का औचित्य है, जिन्होंने अपना निबंधन करा लिया है उनका तो सभी लेखा-जोखा विवरणी में अंकित है। अत: हमारा निवेदन है कि वैट में निर्बंधित कपड़ा व्यवसायियों को सर्वे के नाम पर नाहक परेशान नहीं किया जाए। इस संबंध में हमने वाणिज्य-कर आयुक्त को अवगत कराया था तत्पश्चात स्थिति में सुधार हुआ है।

महोदय, इन्ही सुझावों के साथ मैं पुन: आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में राज्य प्रगति की गति को बनाये रखेगा और औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ते हुए आर्थिक रूप से खुशहाल होगा।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के तहत

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का हुआ गठन

बिहार में नए उद्यमों की स्थापना तथा उससे रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन किया है।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन अधिनियम 2016 की धारा-4 के तहत पर्षद का गठन करते हुए शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। पर्षद की बैठक हर माह होगी, जिसमें उद्योग तथा उद्यमियों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

पर्षद के गठन से राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके लिए उद्योग, सेवा और कारोबारी इकाइयों की स्थापना तथा परिचालन की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाकर निवेश को आकर्षित करना है। पर्षद को यह अधिकार होगा कि निवेश के लिए आए प्रस्तावों पर संबंधित विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव को बुलाकर सीधे उनका विचार जान सके। पर्षद किसी भी मामले में किसी व्यक्ति अथवा संस्थान के प्रतिनिधि को बैठक में आमंत्रित कर उनके विचार से अवगत हो सकेगा।

विकास आयुक्त अध्यक्ष तथा प्रधान सचिव उद्योग बनाए गए सचिव: राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का अध्यक्ष विकास आयुक्त तथा सदस्य सचिव प्रधान सचिव उद्योग को बनाया गया है। इनके अलावा प्रधान सचिव वित्त, प्रधान सचिव वाणिज्य कर, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण, प्रधान सचिव ऊर्जा, प्रधान सचिव श्रम संसाधन, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार, अध्यक्ष बिहार उद्योग संघ, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को सदस्य बनाया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी तीन सदस्य नामित किए गए हैं।

30 दिन के भीतर रखना होगा निवेश प्रस्ताव

"राज्य में पहली बार एक्ट के तहत पर्षद का गठन किया गया है। पर्षद की पहली बैठक शीघ्र बुलाई जा रही है। पहली ही बैठक में उद्योग व उद्यमियों से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।"

– डॉ. एस सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, उद्योग

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.10.2016)

निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर जोर

उद्योग इकाइयों के लिए जमीन की कमी को देख राज्य सरकार अब निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर जोर दे रही है। इसके लिए निजी भू-स्वामियों को प्रोत्साहन के रूप में कई तरह की छूट दी जाएगी। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने वालों को 30 प्रतिशत तक इंटेरेस्ट सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया है, जबकि उद्योग इकाई लगाने पर केवल 10 प्रतिशत इंटेरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान है।

उद्योग विभाग के मुताबिक, निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए कम से कम 25 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। कई भू-स्वामी आपस में मिलकर भी इसे विकसित कर सकते हैं। आइटी के लिए न्यूनतम तीन एकड़ जमीन पर ही निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकेंगे। प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र जैसे फूड पार्क, लेदर पार्क आदि के लिए निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर 35 प्रतिशत तक इंटेरेस्ट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की इंटेरेस्ट सब्सिडी दी जा सकेगी, हालांकि औद्योगिक इकाई लगाने वालों के लिए यह सीमा 10 करोड़ तक ही निर्धारित है। प्रोत्साहन राशि लेने के लिए निजी औद्योगिक पार्क में कम से कम पाँच उद्योग इकाइयों का होना आवश्यक है। भू-स्वामियों को अपनी कृषि भूमि को उद्योग के काबिल घोषित कराने पर आने वाले खर्च की उद्योग विभाग शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा। बिजली-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं इन पार्कों के लिए सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। **(साभार : दैनिक जागरण 13.10.2016)**

बेहतर प्रदर्शन वाले 10 राज्यों में शामिल हुआ बिहार

'विकास की विरासत' वाले राज्यों के और अधिक समृद्ध होते जाने के बावजूद पिछड़ा कहा जाने वाला बिहार देश के 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। 19 राज्यों के गवर्नेंस के तुलनात्मक अध्ययन में यह बात सामने आई है। छह मानकों पर 2011 में बिहार का 18 वां स्थान था, लेकिन अब यह दसवीं पायदान पर आ गया है।

अध्ययन ने बिहार की विशेष दर्जा की मांग को इस प्रकार से वाजिब ठहराया है कि डेवलपमेंट लिगेसी (विकास की विरासत) वाले कुछ राज्य और अधिक समृद्ध होने जा रहे हैं। इनमें गुजरात, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, केरल एवं पंजाब शामिल हैं। इन राज्यों में पूर्व से प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, जो इनके अन्य राज्यों की तुलना में तेज विकास का रास्ता आसान कर देती है। ऐसे में ये राज्य पिछड़े प्रदेशों को और पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नतीजे के तौर पर राज्यों के बीच विषमता और गहरी होती जा रही है। छह विभिन्न मानकों पर तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 में बिहार के अलावा ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी निचली पायदान पर थे। परन्तु इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन बिहार का रहा है, जिसके कारण यह 18वें से अब 10वीं पायदान पर आ गया है। इस बेहतर प्रदर्शन का एक कारण पिछले दस सालों से बिहार की तेज विकास दर भी है। इस कारण कम संसाधनों के बावजूद इसका प्रदर्शन बेहतर रिकार्ड किया गया है।

तीन शोधकर्ताओं– सुदीप्तो मंडल, सामिक चौधरी और सतदरू सिकदर द्वारा तैयार यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली के पिछले अंक में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डेवलपमेंट कलस्टर उन्हीं पाँच राज्यों में अधिक विकसित हो रहे हैं जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी प्रदर्शन बेहतर रिकार्ड किया गया।

बिहार का बेहतर प्रदर्शन निर्माण एवं सेवा प्रक्षेत्र की बदौलत रहा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) में सेवा प्रक्षेत्र का पचास प्रतिशत से अधिक योगदान है। वहीं, निर्माण प्रक्षेत्र में पिछले दो-तीन सालों से अधिक बढ़ोतरी नहीं दर्ज हो रही। वर्तमान विकास दर को टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करने पर जोर दे रही है।

• 19 राज्यों के गवर्नेंस के तुलनात्मक अध्ययन में यह बात सामने आई • 18वाँ स्थान था मानकों पर 2011 में बिहार का • छह मानक : 1. आधारभूत संरचना 2. सामाजिक प्रक्षेत्र 3. वित्तीय प्रदर्शन 4. न्याय 5. कानून व्यवस्था 6. विधायिका की गुणवत्ता। **(साभार : दैनिक जागरण, 14.10.2016)**

बिहार में अब औद्योगिक भूमि बेच सकेंगे उद्यम

• अब उद्यमी अपनी बेकार पड़ी जमीन बेच सकेंगे किसी दूसरे उद्यमी को • राज्य सरकार के अनुसार इससे राज्य में औद्योगिक माहौल सुधारने में मिलेगी मदद • बियाडा भूमि स्थांतरण में करेगा मध्यस्थता पर इसके लिए लेगा मोटा शुल्क।

राज्य सरकार ने अब वर्षों से बेकार पड़ी अपनी औद्योगिक जमीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकार (बियाडा) के प्लॉटों के हस्तांतरण लगी रोक हटा दी है। इसके जरिये अब उद्यमी अपनी बेकार पड़ी जमीन को दूसरे उद्यमियों को बेच सकेंगे।

राज्य सरकार के मुताबिक इस कदम से बिहार में औद्योगिक वातावरण बनाने में मदद मिलेंगी। राज्य सरकार के इस फैसले के तहत बीमार और बंद पड़ी इकाइयों के मालिक को अब अपना पट्टा दूसरे उद्यमियों के नाम हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। इसके तहत उन्हें अपना पट्टा दूसरे उद्यमियों को बेचने का भी अधिकार होगा।

उद्योग विभाग के मुताबिक इस बारे में लंबे समय से विचार हो रहा था और इस कदम से राज्य में उद्योगों को बहुत बल मिलेगा। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया, 'राज्य सरकार इस वक्त तेज औद्योगिकीकरण की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मामले में औद्योगिक भूमि की कमी रोड़े अटका रही है। बियाडा इस मामले में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इसके तहत हम नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। साथ ही पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर रख-रखाव की कोशिश भी कर रहे हैं।

कराब 8-9 साल पहले बियाडा ने हस्तांतरण के मामलों में भारी

अनियमितता की वजह से उद्योग विभाग ने उद्यमियों के औद्योगिक भूमि के लीज को दूसरे उद्यमी के नाम हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी थी। नए नियमों के मुताबिक उन्हें पहले अपनी जमीन बियाडा को 'समर्पित' करनी पड़ती थी, जिसके बाद उसे नए उद्यमियों को दिया जाता। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में कई -कई साल लग जाते थे।

उद्योगों के जमीन की जबरदस्त किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार नए रूख अख्तियार करने का फैसला लिया है। इसी के तहत अब दूसरे उद्यमियों को सीधे भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार दिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए जमीन पर किसी प्रकार की कोई बकाया नहीं रहना चाहिए। बियाडा भूमि के हस्तांतरण में मध्यस्थता करेगा, जिसके बदले में वह एक मोटा शुल्क वसूलेगा।

बियाडा अधिकारियों के मुताबिक प्राधिकार के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन के कई टुकड़े वर्षों से बेकार पड़े हुए हैं। इन्हें सालों पहले बियाडा ने विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए पट्टे पर दिया था लेकिन अब तक इन पर कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ, इससे राज्य में बीमार इकाइयों के लिए बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 21.10.2016)**

बीमार उद्योगों की जमीन लेगी सरकार

बंद या बीमार औद्योगिक इकाइयों से बिहार सरकार जमीन वापस लेगी, उद्योग विभाग नीति तैयार कर रहा है, जिसे अगले माह कैबिनेट की स्वीकृति दिलाई जाएगी। ऐसे इकाइयों के मालिकों को अपनी जमीन बाजार दर पर सरकार को वापस करने या पुन: उद्योग लगाने वाले किसी दूसरे निवेशक को ट्रांसफर करने का आप्शन दिया जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की जमीन पर ही करीब 150 से अधिक ऐसी इकाइयाँ हँ जो या तो बंद है या बीमार।

प्रोत्साहन पर्षद से मंजूरी जरूरी : सूत्रों के अनुसार उद्योग विभाग 2014 की एग्जिट पॉलिसी में जरूरी संशोधन कर नई एग्जिट और ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रहा है। इससे पहले बेहतर परिणाम नहीं मिलने से इस बार अन्य निवेशक को सीधे जमीन हस्तांतरित करने का प्रावधान किया जा रहा है। वैसे निवेशकों को ही जमीन हस्तांतरित की जाएगी, जिनके प्रस्ताव को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की मंजूरी मिल चुकी है।

शराब फैक्ट्री को प्रोत्साहन नहीं : निवेशकों को जमीन सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने के लिए निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। निजी औद्योगिक पार्क बनाने वालों को स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ ही कृषि भूमि को औद्योगिक पार्क में बदलने की स्थिति में लैंड कन्वर्जन फीस भी नहीं लगेगी। निजी पार्कों में बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी सरकार उपलब्ध कराएगी। यह साफ कर दिया गया है कि निगेटिव लिस्ट में शामिल उद्योगों, जैसे शराब की फैक्ट्री को न ऐसी जमीन आवंटित होगी और न ही कोई अन्य प्रोत्साहन मिलेगा। निजी उद्योग पार्क के अलावा लैंड बैंक को भी सक्रिय करने की पहल हुई है। पूर्व में लैंड बैंक के लिए कार्पस फंड मुहैया कराने की बात भी हुई थी, जिसपर फिर से विचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि बाजार में जमीन के अधिक दाम मिलने से लैंर्ड बैंक के प्रति भू-स्वामी कम इंटेरेस्ट ले रहे हैं। **(साभार : आई नेक्स्ट, 20.10.2016)**

लघु उद्योगों के विकास पर बिहार सरकार का जोर

बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास के मामले में रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का फैसला लिया है। ऐसे में विभाग की ओर से लघु और छोटी इकाइयों के विकास पर खासा ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार लघु और छोटी इकाइयों के लिए नए उद्यमियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उन्हें पूँजी जुटाने में मदद करेगी। अधिकारियों के मुताबिक रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए लघु एवं छोटी इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा रियायतें दीं जाएंगी। इसके साथ ही उद्योग विभाग के अधिकारी उन्हें बैंकों से कर्ज दिलाने में भी मदद करेंगे और उद्यमियों के प्रस्तावों को तैयार करने में भी मदद की जाएगी। हालांकि इसके लिए उद्यमियों के पास जरूरी जमीन और उद्यम लगाने के लिए कम से कम 20 फीसदी पूँजी होनी चाहिए।

बैंकों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सरकार ने पूँजी अनुदान (कैपिटल सब्सिडी) खत्म कर दिया है। इसकी जगह अब निवेशकों को मिलने वाले सभी अनुदान और रियायत बैंक कर्ज के साथ जोड़ दिए गए। इससे बैंकों को भी अपने जोखिम कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा बड़े और मझोले उद्यमों के मुकाबले इन्हें 12 फीसदी ब्याज अनुदान देने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार को बिहार में कर्ज वितरण में भी तेजी लाने में मदद मिलेगी। पिछले वित्त वर्ष में राज्य का ऋण-जमा अनुपात करीब 43 फीसदी था। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.10.2016)**

पेटेंट विकास पर रहेगा बिहार का जोर

• नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्टार्ट अप नीति में किए खास प्रावधान • नई पहल का पेटेंट कराने में राज्य सरकार उद्यमियों की करेगी हरसंभव मदद • नए उद्यमियों के लिए 500 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी बनाया।

बिहार में राज्य सरकार नवाचार को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी स्टार्ट अप नीति में खास प्रावधान किए हैं। इसके तहत राज्य सरकार पेटेंट का पूरा खर्च उठाएगी। साथ ही, इस नीति के जरिये नए उद्यमियों को 10 लाख रुपये की शुरुआती पूँजी सरकार की तरफ से दो जाएगी।

राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने अपनी स्टार्ट अप नीति में खास इंतजाम किए हैं। उद्योग विभाग बौद्धिक संपदा के विकास को बढ़ावा देगी। इस तरह विभाग ने नए और अनोखे विचार का पेटेंट कराने में उद्यमियों को मदद देने का भी फैसला लिया है। इसके तहत देश में पेटेंट कराने के लिए राज्य सरकार सारा खर्च वहन करेगी, जबकि विदेशी पेटेंट हासिल करने के वास्ते अलग से आर्थिक मदद विभाग की ओर से दी जाएगी। वहीं, विश्व बैंक या केन्द्र सरकार को किसी वित्तीय संस्था से पैसे हासिल करके अपना उद्यम शुरू करने वालों को राज्य सरकार की ओर से कुल पूंजी की 2 फीसदी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। उद्यमियों के लिए राज्य सरकार ने 'स्टार्ट अप बिहार' के नाम से एक पोर्टल बनाने का भी फैसला किया है। इस नीति के तहत चयनित उद्यमियों को राज्य सरकार 10 लाख रुपये शुरुआती पूँजी देगी। कारोबार के स्थायी होने के बाद उद्यमी के पास हिस्सा वापस खरीदने का मौका भी होगा। शुरुआती स्तर पर उद्यमियों की मदद के लिए राज्य सरकार उन्हें तीन साल तक कार्यालय, फोन, इंटरनेट, आदि की सुविधा मुफ्त में मुहैया कराएगी। वहीं, उन्हें 5 साल तक किसी प्रकार के निबंधन की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, उन्हें 5 साल तक किसी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होगी। वहीं, स्टार्ट अप नीति की निगरानी के लिए एक विशेष ट्रस्ट भी राज्य सरकार बनाने वाली है, जिसके मुखिया अर्थ और कंपनी जगत का कोई जाना माना नाम होगा।

साथ ही, राज्य सरकार ने अपनी नई स्टार्ट अप नीति में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अपने 500 करोड़ रुपये वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है।

राज्य के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ के मुताबिक इससे राज्य में उद्यमिता का एक माहौल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिश बिहार को स्टार्ट अप की दुनिया में बड़ा नाम बनाने की है। हमारे युवाओं में ज्ञान, विचार और हुनर की कमी नहीं है। हम हर मामलों में नए उद्यमियों की मदद को तैयार रहेंगे।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.10.2016)**

उत्पादन शुरू करने पर ही उद्योग इकाइयों को सब्सिडी

राज्य सरकार ने उद्योग इकाइयों को सब्सिडी या किसी अन्य प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था बदल दी है। उद्योग विभाग अब निवेशकों को उत्पादन शुरू करने पर ही किसी प्रकार का इन्सेटिव देगा। उद्योग विभाग ने निवेश के लिए प्राथमिकता वाले दस प्रक्षेत्र भी चिह्नित किए है, और इन प्रक्षेत्र की इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन राशि दो जाएगी।

उद्योग विभाग ने इस संबंध में एक पावर प्वाइट प्रेजेटेशन तैयार किया है जिसमें कहा गया है कि उत्पादन शुरू के पाँच साल तक ही किसी प्रकार का इन्सेटिव दिया जाएगा। जिन निवेशकों ने टर्म-लोन लिया है। उन्हों दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की सीमा संबंधित बैंकों द्वारा तय की गई उनके प्रोजेक्ट की लागत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उन्हें इन्टरेस्ट सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

टर्म-लोन पर लगने वाली ब्याज दर या दस प्रतिशत, दोनों में से जो कम होंगा, उसी दर पर यह इन्टेरेस्ट सब्सिडी होगी। यह सब्सिडी पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम दस करोड़ रुपये तक होगी। सूत्रों ने बताया कि यह बदलाव पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखकर लाया गया है। उद्योग विभाग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए है जिनमें निवेशकों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी तो ले ली, लेकिन उत्पादन आरंभ नहीं किया। इसी कारण अब कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था बंद कर इन्टेरेस्ट सब्सिडी लागू की गई है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन इकाइयों ने टर्म-लोन नहीं लिया है, उन्हें इन्टरेस्ट नहीं दी जाएगी। उद्योग इकाई के विस्तार या आधुनिकीकरण पर अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह शर्त भी रखी गई है कि जमीन की कीमत प्रस्तावित प्रोजेक्ट की लागत के दस फीसद से अधिक न हो।

निगेटिव लिस्ट में शामिल उद्योग इकाइयों, जैसे शराब या स्पिरिट इकाइयों के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। विभाग ने अनुसूचित जाति-जनजाति से ताल्लुक रखने वाले उद्यमियों और महिला उद्यमियों को सामान्य से अधिक सब्सिडी देने का भी फैसला लिया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.10.2016)**

चार वर्ष में दोगुनी हुई बिजली खपत

बिहार में बिजली की सप्लाई एवं खपत में पिछले चार वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। 2012 में जहाँ सिर्फ 120 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत थी वहीं 2016 में यह बढ़कर 256 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई है। सप्लाई के भी इस साल बढ़कर 45 सो मेगावाट होने की उम्मीद है। राज्य में संपूर्ण विद्युतीकरण के बाद यह आंकड़ा बढ़ेगा। ऐसे में संचरण सिस्टम को दुरुस्त करने की बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने है।

साल दर साल खपत की रफ्तार

वर्ष	खपत (मिलियन यूनिट
20015-16	19707
20014-15	18759
20013-14	14769
20012-13	12835
20011-12	11260

बड़ौदा में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में सूबे के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने केन्दीय मंत्री पीयूष गोयल को बिहार की चिंताओं से अवगत कराते हुए केन्द्रीय कोटे से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। साथ ही संचरण व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी मदद मांगी है। ऊर्जा मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बिहार की जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने सूबे में संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर कई योजनाओं से भी अवगत कराया। संचरण सिस्टम में सुधार के लिए सूबे में पाँच नए सुपर ग्रिड प्रस्तावित है। राज्य में पहले से सात ग्रिड काम कर रहे है। पाँच और ग्रिड के बन जाने के बाद इनकी कुल संख्या 12 हो जाएगी। सहरसा, सीतामढ़ी और राया में नए ग्रिड का अनुमोदन हो चुका है। आरा एवं मुंगेर में प्रस्तावित ग्रिडों के निर्माण के लिए भी राज्य सरकार ने रास्ता साफ करने का आग्रह किया है। फिलहाल राज्य के 39 हजार राजस्व गांवों में से साढ़े सात सौ गाँवों में बिजली नहीं है। बिजली से वंचित घरों में अगले वर्ष से कनेक्शन देने की तैयारी है। इसलिए सूबे में निमणिाधीन बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी केन्द्र पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही ठंडे वस्ते में पड़ी योजनाओं को शुरू करने के लिए भी आग्रह किया गया है। कजरा एवं पिरपैंती में ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण का करार भी 22 फरवरी को खत्म हो गया है। उसे रीन्यूअल कराने की मांग की गई है। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.10.2016)**

निजी क्षेत्रों को सौंपे जाएंगे राज्य के पनबिजलीघर

राज्य के पनबिजलीघर प्राइवेट सेक्टर को सौंपे जाएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। फिलहाल इस संबंध में नीति बनाई जा रही है। इसमें विस्तार से पूरी कार्ययोजना होगी और बिजलीघरों के संचालन की रूपरेखा भी। हालांकि, पनबिजलीघरों को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने के बावजूद इनपर राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। इसके अलावा सुपरविजन की जिम्मेदारी बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (BHPC) के पास होगी। मॉनिटरिंग ऊर्जा विभाग करेगा।

राज्य में पिछले दो वर्षों से पनबिजलीधरों की स्थिति बदतर हो गई है। उचित रखरखाव व तकनीकी कारणों से एक-एक कर ये बंद हो गई। कुछ माह पहले तक तो राज्य के तमाम 13 पनबिजलीघर बंद पड़े थे, लेकिन फिर उनमें से चार चालू किए गए। लेकिन, फिर से एक पनबिजलीघर बंद हो गया। राज्य की पनबिजली परियोजनाएँ अरवल, वेलसार, अगनूर, बारुण, ढेलाबाण, सेवारी, जयनगरा, श्रीखिंडा, नासरीगंज, डेहरी, कटैया और वाल्मीकिनगर पिछले लंबे समय से जर्जर है। इनमें से अधिसंख्य बिजलीघर छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियों से बंद पड़े हैं। इस समय डेहरी, नासरीगंज की एक-एक व ढेलाबाग की दो यूनिट, कुल चार यूनिटों से ही बिजली पैदा हो रही है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.10.2016)

बिजली खरीद में 2624 करोड़ कंपनी पर बकाया

खरीदकर बिजली सप्लाई करने के कारण कंपनी पर विभिन्न बिजली उत्पादन इकाइयों का 2,624 करोड़ बकाया हो गया है। इसमें 1087 करोड़ देने का समय तय अवधि को पार कर चुका है। 1537 करोड़ देने का समय अभी बचा हुआ है। सितम्बर में कंपनी ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी है

साल दर साल खपत की रफ्तार

कंपनी	बकाया (करोड़ में)
एनटीपीसी	977.94
अदानी	321.17
पावर ग्रिड	256.75
पीटीसी-एक्सचेंज	230.22
जीएमआर	219.21
केबीयूएनएल	165.09
पीटीसीएल	120.76
चूखा	69.70
एनएचपीसी	68.60
ताला	62.83
अन्य एजेंसी	132.63
कुल बकाया	2624.89

07 रुपये 15 पैसे यूनिट खर्च हो रहे हैं।

"उदय योजना पर करार होने के बाद लोन लेने की प्रक्रिया चल रही है। आरबीआई के निर्देशानुसार कर्ज लेकर इसका भुगतान होगा। हर महीने 100 करोड़ का गैप है, जिसको कम करने के लिए प्रयास जारी है।"
–आर लक्ष्मण, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि.

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.10.2016)

बिजली उपकरणों का मानक तय

ग्रामीण विद्युतीकरण में उपयोग होने वाले उपकरणों का मानक तय कर दिया गया है। लेकिन राज्यों को यह छूट दी गई है कि वह उस तय मानक के अनुसार अपने स्तर से उपकरणों की खरीदारी कर सकते हैं। बिहार सहित अन्य राज्यों की मांग पर केन्द्र ने यह निर्णय लिया है।

दरअसल, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति ग्राम योजना के तहत बिजली के छोटे-बड़े उपकरणों की खरीदारी हो रही थी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने मानक तय किए थे। लेकिन इस बीच कई राज्यों ने केन्द्र को जानकारी दी थी कि उस मानक पर केन्द्रीय एजेंसी से सामान खरीदने में अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि राज्य में ही अन्य एजेंसियां उसी मानक के अनुसार कम कीमत पर उपकरण उपलब्ध कराने को तैयार हैं। वहीं केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से उपकरण खरीद के बाद उसमें खराबी आने पर उसे बदलने में काफी परेशानी भी हो रही थी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.10.2016)**

खासमहाल की जमीन को लीज पर देने का काम बंद

राज्य में खासमहाल की सैकड़ों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। अधिकतर जिलों में सालों से ऐसी भूमि के बड़े हिस्से पर दबंगों का अवैध कब्जा बना हुआ है। महीनों से लीज या कोई बंदोबस्ती नहीं होने से लोग परेशान हैं। सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य में खासमहाल की जमीन को महीनों से लीज पर नहीं दी जा रही है। पहले नाममात्र के शुल्क में बंदोबस्ती हो जाती थी। जब सरकार ने लीज के शुल्क बढ़ाए तो विरोध हुआ। कारण यह शुल्क बाजार रेट के हिसाब से करीब 15 गुना बढ़ा दिया गया था। लीज शुल्क कम नहीं करने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी अड़ा रहा है। अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। दोनों पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है। लीज पर जमीन लेने व देने की प्रक्रिया भी बंद पड़ी है।

राज्य में 3012.856 एकड़ भूमि है। इसमें मात्र 705.648 एकड़ भूमि लीज पर है। सिर्फ 4,719 लोगों को ही इसका फायदा मिला है। 2307.208 एकड़ जमीन यूं ही खाली पड़ी है। सीतामढ़ी में तो खासमहाल की 193.74 एकड़ जमीन पर सरकारी दफ्तरों, बैंक, सड़क आदि बन गए हैं। इसमें विभाग से कोई पूर्वानुमति भी नहीं ली गई।

खासमहाल की पटना में 137.363 एकड़ जमीन : खासमहाल की सबसे अधिक जमीन पूर्वी चंपारण में 1155.550 एकड़ भूमि है। पटना में 137.363 एकड़ जमीन है। इसमें भी बड़ा भाग अवैध कब्जे का शिकार है। मुंगेर में 719.811 एकड़ जमीन यूँ ही खाली पड़ी है। सीतामढी में 193.740 और मुजफ्फरपुर में 234.44 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। पश्चिमी चंपारण में 206.600 एकड़, भागलपुर में 112.720 एकड़, समस्तीपुर में 108.430 एकड़, बक्सर में 108.380 एकड़ जमीन रिकॉर्ड में खाली है। दूसरी और पुराने लीज का नवीनीकरण तक नहीं हो रहा है। लगभग डेढ़ हजार ऐसे आवेदन महीनों से पड़े हैं।

कई जिलों में रिकॉर्ड ही नहीं : करीब डेढ़ दर्जन जिलों में खासमहाल जमीन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आशंका यह है कि यहाँ की जमीन भी अवैध कब्जे का शिकार है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार लीज के मामले को सुलझाने की दिशा में गंभीर है। प्रयास जारी हैं। इस मामले को जल्द ही निष्पादित करा लिया जाएगा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 9.10.16)**

अगले साल के बजट में राजस्व घाटा होगा शून्य

अगले साल यानी वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में राजस्व घाटा शून्य करने की योजना है। जबकि राजकोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3 फीसदी के अंदर रखने की। इस दिशा में वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने अन्य विभागों के प्रधान सचिव को प्रस्तावित बजट प्राक्कलन आवश्यकता अनुसार (नीड बेस्ड) तैयार करके भेजने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार और विभागों के आय-व्यय में योजना और गैरयोजना के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। वहीं योजना के नामकरण में भी बदलाव किया जाएगा।

राज्य के व्यय का वर्गीकरण : • वर्तमान नामकरण • गैर योजना • राज्य योजना • केन्द्र प्रायोजित योजना • केन्द्रीय योजनागत योजना • संशोधित नामकरण • स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय • राज्य स्कीम • केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम • केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

जो योजनाएं उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर रही हैं उन्हें बंद करने की योजना : जो स्कीम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे हैं, उन्हें बंद करने या फेज आउट करने की योजना बनाने का निर्देश वित्त विभाग ने विभागों को दिया है। इन स्कीमों में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरे विभागों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पर भेजने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा शून्य करने की योजना है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 10.10.2016)**

कपड़ा व साड़ी पर 5% लगेगा टैक्स

राज्य में कपड़ा और साड़ी पर 5 प्रतिशत ही टैक्स लगेगा। इस बाबत वाणिज्य कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

हाल ही में वाणिज्य कर विभाग ने उन सभी वस्तुओं पर एक प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया था, जिनपर 5 प्रतिशत वैट निर्धारित था। विभाग ने कहा कि कपड़ा एवं साड़ी महत्वपूर्ण घोषित वस्तु में आते हैं। इस कारण इन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत से अधिक टैक्स नहीं रखा जा सकता है।

अगले माह से महंगे हो जाएंगे केबल टीवी : नवंबर से केबल टीवी महंगा हो जाएगा। वाणिज्य कर विभाग ने मनोरंजन कर में 15 रुपए टैक्स बढ़ाकर 50 कर दिया है। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकल केबल ऑपरेटरों का कहना है कि अगर सरकार बढ़े हुए टैक्स को वापस नहीं लेती है तो उपभोक्ताओं को अगले माह से 35 रुपए अधिक केवल चार्ज देना होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.10.2016)**

अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई

उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशालय के उप निदेशक (तकनीकी) बी. के. ठाकुर को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। तकनीकी विकास निदेशालय के उप निदेशक (तकनीकी) संजय सिंह को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पद पर नामित किया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.10.2016)

रजिस्ट्रेशन में पैन, मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी जरूरी

राज्य में कई प्रकार के व्यवसाय में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैन नम्बर, ई-मेल आइडी, मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इनमें मुख्य रूप से विलासिता टैक्स, मनोरंजन टैक्स, विद्युत शुल्क, प्रवेश शुल्क व विज्ञापन टैक्स के निबंधन कराने के समय यह अनिवार्य है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह भी निर्देश दिया गया है कि वैसे व्यापारी जिन्होंने पूर्व से विभाग से निबंधन ले रखा है और अभी तक विभाग को पैन नम्बर, ई-मेल आईडी मोबाइल नम्बर जमा नहीं किया है वे अविलंब विभाग में जमा कर दें। **(साभार : हिन्दुस्तान, 17.10.2016)**

प्रदूषण वाले उत्पादों पर होगी ऊँची जीएसटी दर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में प्रदूषण वाले सामानों पर अन्य उत्पादों के मुकाबले ऊँची दर से टैक्स लगाया जाएगा। भारत के पेरिस जलवायु संधि पर दस्तखत करने के चंद दिनों बाद ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका स्पष्ट संकेत दे दिया है। जेटली शनिवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन के सिलसिले में यहाँ आए हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कहा की जीएसटी में पर्यावरण को नुकसान पहुचाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन से बचाव जैसे कामों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जुटाया जा सकेगा। इससे जुड़े प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल सरकार जीएसटी की दरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। देश में कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों पर पहले भी अधिक टैक्स लगाया गया है। जलवायु संरक्षण के लिए सभी स्त्रोतों से धन जुटाया जाएगा, ताकि पर्यावरण के नजरिये से स्वस्थ विकास के लक्ष्यों को कारगर ढंग से हासिल किया जा सके।

व्यापारियों का मिलेगा प्रशिक्षण : जीएसटी के अनुपालन और इसे आसानी से अपनाने के लिए व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआइटी) ने इसके लिए पहल करते हुए सॉफ्टवेयर फर्म टेली सॉल्यूशंस के साथ करार किया है। दोनों मिलकर व्यापारियों के कारोबार पर जीएसटी के असर को समझाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान भी शुरू करेंगे। जीएसटी सिस्टम मौजूदा वैट या अन्य करों की प्रणाली से अलग है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.10.2016)**

कर-सलाह

प्रश्न – मैंनें अपनी खेती की जमीन साल 2008 में खरीद कर वर्ष 2013 में उसे बेचा। इस संबंध में मुझे कैपिटल गैन टैक्स अदा करने हेतु आयकर विभाग से नोटिस जारी किया गया है। आयकर विभाग का कहना है कि चूकि उक्त कृषि भूमि नगरपालिका की सीमा से आठ किलोमीटर के अंदर है, इसलिए इसपर आपको कैपिटल गैन पर टैक्स बनता है। कृपया इसे स्पष्ट करें।

उत्तर – यदि आपकी कृषि भूमि नगरपालिका की सीमा से आठ किलोमीटर के अंदर है तो फिर आयकर विभाग के द्वारा भेजा गया नोटिस उचित है और इस पर आपको लंबी अवधि का पूंजी लाभ कर अदा करना होगा। हाँ, यदि आपने इस कृषि भूमि को जो कि नगरपालिका की सीमा के आठ किलोमीटर के अंदर है, को बेचकर दूसरी कृषि भूमि जो की ग्रामीण क्षेत्र में आती है, को खरीदा है तो आपको कैपिटल गैन पर टैक्स से छूट प्राप्त हो सकती है, परन्तु इसके लिए बेची गई भूमि पर बेचने से पूर्व के दो साल में खेती होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको कर अदा करना होगा।

प्रश्न – मुझे एक मकान ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीयल अथॉरिटी से बिल्ट-अप हाउस स्कीम के तरत अलॉट हुआ है। इसके लिए मैं ग्रेटर नोएडा इंडस्टीयल

अथॉरिटी को छमाही किस्त का भुगतान नियनानुसार कर रहा हूँ। इस भुगतान पर मुझे ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीयल अथॉरिटी को मूल राशि के अलावा ब्याज भी अदा करना होता है जो एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक ही बनता है। क्या मैं इस ब्याज पर आयकर की छूट प्राप्त कर सकता हूँ, यदि हाँ, तो किस धारा के तहत।

उत्तर – जी हाँ, आप आयकर की धारा 24 बी के तहत देय ब्याज की छूट प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में यह छूट दो लाख रुपये तक की है।

प्रश्न – मैं एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता हूँ। मैनें हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से 2 सितम्बर, 2009 में एक आवासीय मकान 4,15,000 रुपये में खरीदा था। 5 अगस्त 2016 को परिवार का पूर्ण विभाजन हुआ एवं आवासीय मकान मेरे बेटे के हिस्से में गया। क्या ऐसे में मेरे बेटे की कोई कर देयता बनेगी।

उत्तर – आयकर अधिनियम की धारा 47 के अनुसार यदि हिन्दु अविभाजित परिवार का पूर्ण विभाजन होता है तो विभाजन के समय सदस्यों को प्राप्त संपत्ति, संपत्ति हस्तांतरण की परिभाषा के तहत नहीं आती, अत: विभाजन के समय हिन्दू अविभाजित परिवार की संपति के हस्तांतरण पर कोई कर देयता नहीं बनती। आवासीय मकान बेटे के हिस्से में आया है तो जब तक बेटा इसे बेचेगा नहीं तब तक कोई कर देयता नहीं बनेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.10.2016)**

युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देंगे निजी संस्थान

राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए निजी संस्थानों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग ने 937 प्राइवेट संस्थानों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए केन्द्र संचालित करने की मंजूरी दी है। सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान शहरों और कस्बों में कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग केन्द्र खोलेंगे। आगामी 15 नवम्बर से प्राइवेट संस्थाएं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करेंगी।

राज्य सरकार ने सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया है। इसमें से 504 केन्द्रों के संचालन के लिए श्रम संसाधन विभाग ने संस्थाओं का चयन कर लिया है। शेष 30 प्रखंड मुख्यालयों के केन्द्रों के संचालन के लिए संस्थाओं का चयन किया जा रहा है। इस बीच श्रम संसाधन विभाग ने प्राइवेट संस्थानों को भी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने की स्वीकृति दी है। विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत राज्य में 3500 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने है।

(साभार : दैनिक जागरण, 13.10.2016)

High security number plates to be made mandatory soon

The state transport department is all set to make high security registration number plates (HSRNP) mandatory for all vehicles rolling out of showrooms in Patna and some other districts of Bihar.

ADDRESSING SECURITY CONCERNS : • High security registration number plates (HSRPNs) to be made mandatory for new vehicles in Patna and Muzaffarpur • Showrooms to provide HSRPNs once registration formalities of new vehicles is processed • Govemment expected to generate more revenue from the move. expected to be in place within a month • with only one vendor authorised to make HSRNP for entire Bihar, it won't be easy to implement the move

HIGH SECURITY REGISTRATION NUMBER PLATES CARRY A CHIP HAVING ALL DETAILS OF THE VEHICLE. WHICH ACTS A SAFEGUARD AS ITS EASY FOR COPS TO LOCATE IT IF STOLEN. ITS SECURITY CREDENTIALS ALSO LIE IN THE FACT THAT ITS DIFFICULT TO TAMPER WITH. **(Details : H. T., 14.10.2016)**

घर बैठे रद्द कराएं काउंटर से खरीदे आरक्षण टिकट

रेलवे ने अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए काउंटर टिकट को घर बैठे भी रद्द करने की व्यवस्था की है। इस नयी व्यवस्था का फायदा आइआरसीटीसी के माध्यम से मिलेगा। काउंटर टिकट रद्द कराने के लिए यात्रियों को आइआरसीटीसी के **www.countertickетcancellation** पर लॉगिंग करना होगा। इसके बाद टिकट रद्द करने का ऑप्सन पेज खुलेगा। इस पेज पर पीएनआर व ट्रेन नंबर देने के साथ सबमिट करना होगा। इसके बाद टिकट रद्द हो जायेगा।

रिफंड के लिए जाना होगा स्टेशन : नयी सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को आइआरसी की वेबसाइट पर जाना होगा। जिस पर पीएनआर, ट्रेन नंबर के साथ-साथ काउंटर टिकट लेते समय दिये मोबाइल नंबर देना होगा। इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा जायेगा। इसके बाद अंतिम क्लिक करने पर टिकट रद्द हो जायेगा और रिफंड की राशि पेज दिखायी देने लगेगा। इसके साथ ही मोबाइल पर मैसेज भी भेजा जायेगा, जिसमें पीएनआर नंबर व रिफंड राशि का ब्योरा दिया होगा, जिसको लेकर समीप के स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर रिफंड राशि ले सकते हैं।

समय व पैसे की होगी बचत : यात्रियों को अचानक टिकट रद्द करना पड़ जाये, तो समय के साथ ही पैसे की बरबादी भी होती है। समय पर टिकट रद्द न होने पर रिफंड नहीं मिल पाता। वहीं, यात्रा के दिन टिकट रद्द कराने पर और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि टिकट को ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा मुहैया करायी गयी है। यह सुविधा लागू कर दी गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 16.10.2016)

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 830) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचनाएँ
7 अक्तूबर 2016

एस० ओ० 261, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 – बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 (1948 बिहार अधिनियम XXXV) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से प्रस्तावित करते हैं जिसका प्रारूप उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित सूचनार्थ एतद् द्वारा जानकारी के लिए प्रकाशित की जा रही है।

2 इसके प्रकाशन की तिथि बाद एक माह के भीतर प्राप्त किसी आपत्ति तथा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन

1. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 19क के उपनियम (1) में संशोधन – उक्त नियमावली का नियम 19क के उपनियम (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"(1)इस तथ्य का विचार किये बिना कि केबुल सेवा अथवा केबुल टेलिविजन नेटवर्क पर प्रदर्शित कार्यक्रम किसी ऐसे सेवा या माल की आपूर्ति के साथ सम्मिलित है जिसके लिए किसी व्यक्ति से एकमुश्त राशि प्रभारित की जा रही है, धारा 3कक के अधीन देय समेकित कर की राशि, केबुल सेवा या केबुल टेलिविजन नेटवर्क के स्वामी द्वारा दिये गये प्रत्येक संबंधन पर पचास रूपये प्रतिमाह प्रति संबंधन की दर से, भुगतान की जायेगी।"

(सं० सं०-बिक्री-कर/संशोधन-10/2016-**3840**)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सुजाता चतुर्वेदी
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 831) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचनाएँ
7 अक्तूबर 2016

एस.ओ. 263, दिनांक 7 अक्तबूर 2016– केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा-13 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए बिहार-राज्यपाल केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (1) यह नियमावली

केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार संशोधन) नियमावली 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पर्णू बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 04.07.2012 की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 में संशोधन :- केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''9 प्राधिकारी जिनसे घोषणापत्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे प्रपत्रों के उपयोग, अभिरक्षा एवं अभिलेखों का संधारण और इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामले :- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, इस बावत निर्गत अधिसूचना द्वारा, धारा-5 की उप-धारा (3), या धारा-6 की उप-धारा (2), या धारा-6क की उप-धारा (1), या धारा-8 की उप-धारा (4) के खंड (क), या धारा-8 की उप-धारा (8) के अधीन विहित किसी घोषणा-पत्र अथवा, यथास्थिति, प्रमाण-पत्र, प्राप्त करने की रीति तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों जिसके अधीन उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, तथा इनके संशोधन एवं रद्दीकरण की रीति विहित कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन निर्गत अधिसूचना में वह रीति जिससे ऐसे प्रपत्र मुद्रित, निर्गत एवं अभिरक्षा में रखे जाएंगे और वह रीति जिससे ऐसे किसी प्रपत्र का उपयोग किया जा सकेगा और ऐसा कोई प्रमाण-पत्र या घोषणा दी जा सकेगी, विहित की जा सकेगी।

परन्तु आगे यह कि आयुक्त द्वारा विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत किसी घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र के संशोधन एवं रद्दीकरण की रीति मात्र वैसे घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र के संबंध में विहित की जायेगी जो दिनांक 10 अक्टूबर 2015 के पूर्व निर्गत हुए हों।

(1) (क) क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियम के अंतर्गत एक निर्बंधित व्यवसायी द्वारा दूसरे को माल की बिक्री पर लागू कर की दरों का भुगतान करके कोई निर्बंधित व्यवसायी दूसरे ऐसे व्यवसायी से माल खरीदना चाहता हो तो, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (4) में विहित घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा और इसे विक्रेता व्यवसायी को प्रदान करेगा। विक्रेता व्यवसायी को घोषणा-पत्र प्रदान करने से पूर्व क्रेता व्यवसायी या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रपत्र के सभी आवश्यक विवरण भरेगा और इस उद्देश्य हेतु प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेगा। उसके बाद क्रेता व्यवसायी द्वारा प्रपत्र का अधपन्ना रख लिया जायेगा और प्रमाण-पत्र का ''मूल'' एवं ''द्वितीयक'' छपा हुआ अन्य दो भाग विक्रेता व्यवसायी को दिया जायेगा।

परन्तु यह कि निर्बंधित व्यवसायी द्वारा पप्रत्र की आपूर्ति हेतु किये जा रहे आवेदन के समय यदि किसी विवरणी या संशोधित विवरणी तथा इसके साथ ऐसे विवरणी या संशोधित विवरणी के अनुसार उनके कर बकाया का भुगतान दर्शाने वाला चालान या रसीदी चालान दाखिल करने में चूक की गयी हो, वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके तथा उन्हें सुनवाई का एक उचित मौका प्रदान करते हुए, ऐसे प्रपत्र का निर्गमन ऐसे समय तक रोक लिया जायेगा, जब तक कि वह ऐसे विवरणी या संशोधित विवरणी तथा इसके साथ ऐसे विवरणी या संशोधित विवरणी के अनुसार उनके कर बकाया का भुगतान दर्शाने वाला चालान या रसीदी चालान दाखिल नहीं कर देता हो।

(2) (क) कोई निर्बंधित व्यवसायी जो दूसरे निर्बंधित व्यवसायी को बिक्री करने का दावा करता हो, ऐसे दावों के समर्थन में क्रेता व्यवसायी से प्राप्त किये गये घोषणा-पत्र का ''मूल'' छपा हुआ भाग विवरणी प्रपत्र I के साथ संलग्न करेगा या उक्त घोषणा-पत्र को प्रथम कर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय तक समर्पित करेगा।

परन्तु यह कि वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी संतुष्ट हों कि संबंधित व्यक्ति को समुचित कारणों से ऐसे घोषण-पत्र या प्रमाण-पत्र को पूर्वोक्त समय के अधीन प्रस्तुत करने से रोका गया है, वह प्राधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों को इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि वह प्राधिकार नियत करता हो, के अंदर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

परन्तु यह कि जब एक क्रय आदेश के विरूद्ध माल की आपूर्ति किस्तों में की जाती है और एक अवधि की विवरणी के साथ सम्पूर्ण आदेश से आच्छादित एक घोषणा-पत्र प्रपत्र 'सी' दाखिल कर दिया जाता है तो उसी संव्यवहार के संबंध में बाद के अवधि की विवरणी के साथ घोषण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है यदि बाद के अवधि की विवरणी के साथ दाखिल विवरण में पिछली विवरणी अथवा घोषणा-पत्र का संदर्भ दिया हुआ है।

(ख) विक्रेता व्यवसायी भी क्रेता व्यवसायी से प्राप्त प्रत्येक ऐसे घोषणा -पत्र का पूर्ण लेखा कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार एक पंजी प्रपत्र II A में संधारित करेगा।

(ग) कर निर्धारण प्राधिकारी स्वविवेक से विक्रेता व्यवसायी को ''द्वितीयक'' छपा हुआ घोषणा-पत्र का भाग जाँच हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

(3) क्रेता व्यवसायी द्वारा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को आवेदन देकर या ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया गया प्रपत्र, जिसे उप-नियम (10) के अन्तर्गत वाणिज्य -कर आयुक्त द्वारा अमान्य या अप्रचलित नहीं किया गया हो, के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में क्रेता व्यवसायी न तो कोई घोषणा पत्र देगा और न ही उसे विक्रेता व्यवसायी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(4) वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त से प्राप्त प्रत्येक घोषणा-पत्र को निर्बंधित व्यवसायी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और वह ऐसे किसी प्रपत्र के नुकसान, नष्ट होने या चोरी के लिए अथवा ऐसे नुकसान, नष्ट होने या चोरी के फलस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की होने वाले क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

(5) प्रत्येक निर्बंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा-पत्र निर्गत किया गया हो, ऐसे सभी प्रपत्रों का सही एवं पूर्ण लेखा एक पंजी प्रपत्र -II में संधारित करेगा। अगर ऐसा कोई प्रपत्र नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाय तो व्यवसायी वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को तुरंत इस तथ्य की जानकारी देगा, पंजी प्रपत्र-II के टिप्पणी कॉलम में उचित प्रविष्टि करेगा और नुकसान, नष्ट या चोरी होने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए वैसा कदम उठायेगा जैसा कि वाणिज्य -कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा निदेशित किया जाय।

(6) निबंधन प्रमाण पत्र के रद्दीकरण पर निर्बंधित व्यवसायी के भंडार में बचा हुआ कोई उपयोग नहीं किया गया घोषणा-पत्र वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) उप-नियम (1) (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर, कोई निर्बंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा-पत्र निर्गत किया गया हो, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(8) घोषणा-पत्र जिसका ब्यौरा आयुक्त द्वारा उप-नियम (9) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया हो, उप-नियम (1) (क) के प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा।

(9) आयुक्त ऐसे घोषणा-पत्र का विवरण जो उप-नियम (5) के अन्तर्गत नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाना प्रतिवेदित हो या आयुक्त की राय में जिनके दुरुपयोग की आशंका हो, को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(10) (क) आयुक्त अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से, किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा-पत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित कर सकेगा।

(ख) आयुक्त अन्य राज्य सरकारों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु इस उप-नियम के खंड (क) में घोषित अमान्य एवं अप्रचलित घोषणा-पत्रों के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध करा सकेगा।

(11) जब किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा-पत्र को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित करने हेतु उप-नियम (10) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित किया गया हो, तो सभी निर्बंधित व्यवसायी उस तिथि को या उस तिथि से पूर्व जब से प्रपत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित किया गया है, उस श्रृंखला, डिजाईन या रंग के उपयोग नहीं किये गये घोषणा-पत्र, जो उनके स्वामित्व में हैं, को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित करेगा एवं अमान्य तथा अप्रचलित घोषणा-पत्रों के स्थान पर प्रतिस्थानिक नया प्रपत्र प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि व्यवसायी को तब तक नया प्रपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा जब तक उसे जारी पुराने प्रपत्रों का संतोषजनक लेखा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता हो एवं उपयोग नहीं किये गये घोषणा-पत्र, यदि कोई हो तो, को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को वापस नहीं कर दिया जाता हो।''

3. केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9क में संशोधन – केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9क को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''9क प्रमाण-पत्र प्रपत्र E-I एवं E-II के रिकार्ड का उपयोग, अभिरक्षा, रख-रखाव इत्यादि–

(1) एक निर्बंधित व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी परावर्ती बिक्री की बावत कर से छूट का दावा करता हो, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रशेन एवं टर्न ओवर) नियमावली के नियम 12 के उप-नियम (2) में विहित प्रपत्र **E-I** या **E-II**, जैसी स्थिति हो, में निर्बंधित व्यवसायी जिनसे वह माल खरीदा हो, से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि ऐसे मामले जहाँ एक प्रमाण-पत्र से आच्छादित कुल राशि रू० पाँच हजार से अधिक नहीं हो या ऐसी कोई अन्य राशि, जैसा आयुक्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, को छोड़कर, कोई एक प्रमाण-पत्र एक से अधिक बिक्री संव्यवहार से आच्छादित नहीं होगा।

(2) प्रपत्र E-I का प्रयोग धारा 6 के उप-धारा (2) के अधीन विमुक्त बिक्री, जो पहली बिक्री को तुरन्त अनुगमन करता हो, के संबंध में किया जायेगा एवं प्रपत्र E-II का प्रयोग अन्य सभी परावर्ती बिक्री जो उक्त उप-धारा के अन्तर्गत विमुक्त हैं, के संबंध में किया जायेगा।

(3) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ एक निर्बंधित व्यवसायी वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी से अपनी आवश्यक सीमा तक प्रपत्र E-I या E-II, जैसी स्थिति हो, प्राप्त करेगा एवं उक्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रत्येक ऐसे प्रपत्र का सत्य एवं पूर्ण लेखा उक्त व्यवसायी कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार एक पंजी प्रपत्र IV में संधारित करेगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निर्बंधित क्रेता व्यवसायी को देने के पूर्व, निर्बंधित विक्रेता व्यवसायी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रमाण-पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरेगा एवं इस उद्देश्य हेतु प्रमाण-पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना सामान्य हस्ताक्षर अंकित करेगा एवं प्रमाण-पत्र का अधपन्ना निर्बंधित विक्रेता व्यवसायी द्वारा रख लिया जायेगा और प्रमाण-पत्र का 'मूल' एवं 'द्वितीयक' छपा हुआ अन्य दो भाग निर्बंधित क्रेता व्यवसायी को दिया जायेगा।

(5) (क) निर्बंधित व्यवसायी जो यह दावा करता हो कि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन दूसरे निर्बंधित व्यवसायी को की गयी उसकी परावर्ती बिक्री कर योग्य नहीं है, ऐसे दावे के समर्थन में अपनी विवरणी प्रपत्र I के साथ निर्बंधित व्यवसायी जिससे उसने माल खरीदा है, से प्राप्त प्रपत्र E-I या E-II, जैसी स्थिति हो एवं निर्बंधित व्यवसायी जिसको उसने परावर्ती बिक्री की है, से प्राप्त धारा 8 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा।

(ख) प्राप्त किये गये ऐसे सभी प्रपत्रों का सत्य एवं पूर्ण लेखा विक्रेता व्यवसायी कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार पंजी प्रपत्र E-IV में संधारित करेगा।

(ग) वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी स्वविवेक से प्रपत्र E-I या E-II प्रमाण-पत्र की 'द्वितीयक' प्रति जाँच हेतु प्रस्तुत करने की निर्बंधित विक्रेता व्यवसायी से अपेक्षा कर सकता है।

6. आयुक्त द्वारा अप्रचलित एवं अमान्य घोषित नहीं किये गये तथा वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी को आवेदन देकर प्राप्त प्रपत्र के अलावा, प्रपत्र E-I या E-II में कोई प्रमाण-पत्र न तो किसी निर्बंधित व्यवसायी द्वारा दिया जायेगा और न ही किसी निर्बंधित व्यवसायी द्वारा इसे स्वीकार किया जायेगा।

7. इस नियम में अन्यथा लागू प्रावधानों को छोड़कर, नियम 9 के उप-नियम (4) से (11) में निर्दिष्ट घोषणा प्रपत्र से संबंधित प्रावधान प्रपत्र E-I एवं E-II के प्रमाण-पत्र से संबंधित मामलों में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगें।''

4. केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9ग में संशोधन – केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9ग को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

''9ग प्राधिकारी जिनसे घोषणा-पत्र 'F' प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे प्रपत्रों के उपयोग, अभिरक्षा एवं अभिलेखों का संधारण और इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामले –

(1) एक निर्बंधित व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 6क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी बिक्री की बावत कर से छूट का दावा करता हो, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रशेन एवं टर्न ओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उप-नियम (5) में विहित प्रपत्र F में विधिवत भरा हुआ घोषणा-पत्र, ऐसे प्रपत्र द्वारा आच्छादित वस्तु को प्रदत्त करने वाले राज्य के स्थानांतरी के दूसरे स्थान के व्यवसाय के प्रधान अधिकारी या उनके एजेंट या स्वामी, जैसी स्थिति हो, से प्राप्त करेगा।

(2) केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रशेन एवं टर्न ओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उप-नियम (5) में निर्दिष्ट घोषणा-पत्र विक्रेता व्यवसायी को देने के पूर्व, क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी, जैसी स्थिति हो, या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरेगा एवं इस उद्देश्य हेतु प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेगा।

(3) क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी, जैसी स्थिति हो, द्वारा इस प्रपत्र का अधपन्ना रख लिया जायेगा और 'मूल' एवं 'द्वितीयक' छपा हुआ अन्य दो भाग विक्रेता व्यवसायी या स्थानांतरणकर्ता, जैसी स्थिति हो, को दिया जायेगा।

(4) कोई निर्बंधित व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 6 क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी बिक्री की बावत कर से छूट का दावा करता हो, ऐसे दावे के समर्थन में ऐसे प्रपत्र द्वारा आच्छादित वस्तु को प्रदत्त करने वाले राज्य के स्थानांतरी से प्राप्त किया गया घोषणा-पत्र प्रपत्र F का 'मूल' छपा हुआ भाग विवरणी प्रपत्र-I के साथ संलग्न करेगा या उक्त घोषणा-पत्र को प्रथम कर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय के पूर्व तक समर्पित करेगा।

(5) विक्रेता व्यवसायी या स्थानांतरणकर्ता, स्थानांतरी से प्राप्त प्रत्येक ऐसे घोषणा-पत्र का पूर्ण लेखा कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार दोनों एक पंजी प्रपत्र-VIA में संधारित करेगा।

(6) कर निर्धारण प्राधिकारी स्वविवेक से विक्रेता व्यवसायी या स्थानांतरणकर्ता को 'द्वितीयक' छपा हुआ घोषणा-पत्र का भाग जाँच हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

(7) आयुक्त द्वारा उप-नियम (14) के अधीन अप्रचलित एवं अमान्य घोषित नहीं किये गये एवं वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी को आवेदन देकर क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी द्वारा प्राप्त किसी घोषणा-पत्र के अलावा कोई प्रमाण-पत्र न तो किसी क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी, जैसी स्थिति हो, द्वारा दिया जायेगा और न ही किसी विक्रेता व्यवसायी द्वारा इसे स्वीकार किया जायेगा।

(8) वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त से प्राप्त प्रत्येक घोषणा पत्र को निर्बंधित व्यवसायी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और वह ऐसे किसी प्रपत्र के नुकसान, नष्ट होने या चोरी के लिए अथवा ऐसे नुकसान, नष्ट होने या चोरी के फलस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की होनेवाले क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

(9) प्रत्येक निर्बंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी,

वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा पत्र निर्गत किया गया हो, ऐसे सभी प्रपत्रों का सही एवं पूर्ण लेखा एक पंजी प्रपत्र-VI में संधारित करेगा। अगर ऐसा कोई प्रपत्र नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाय तो व्यवसायी वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को तुरंत इस तथ्य की जानकारी देगा, पंजी प्रपत्र - VI A के टिप्पणी कॉलम में उचित प्रविष्टि करेगा और नुकसान, नष्ट या चोरी होने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए वैसा कदम उठायेगा जैसा कि वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा निदेशित किया जाय।

(10) निबंधन प्रमाण पत्र के रद्दीकरण पर निर्बंधित व्यवसायी के भंडार में बचा उपयोग नहीं किया गया कोई घोषणा-पत्र वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित कर दिया जायेगा।

(11) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर, कोई निर्बंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा पत्र निर्गत किया गया हो, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।

(12) घोषणा पत्र जिसका ब्यौरा आयुक्त द्वारा उप-नियम (13) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया हो, उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा।

(13) आयुक्त ऐसे घोषणा पत्र का विवरण जो उप-नियम (9) के अन्तर्गत नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाना प्रतिवेदित हो या आयुक्त की राय में जिनके दुरुपयोग की आशंका हो, को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(14) (क) आयुक्त अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से, किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा पत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित कर सकेगा।

(ख) आयुक्त अन्य राज्य सरकारों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु इस उप-नियम के खंड (क) में घोषित अमान्य एवं अप्रचलित घोषणा पत्रों के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध करा सकेगा।

(15) जब किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा पत्र को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित करने हेतु उप-नियम (14) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित किया गया हो, तो सभी निर्बंधित व्यवसायी उस तिथि को या उस तिथि से पूर्व जबसे प्रपत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित किया गया है, उनके स्वामित्व में उस श्रृंखला, डिजाईन या रंग के उपयोग नहीं किये गये घोषणा पत्रों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित करेगा एवं अमान्य तथा अप्रचलित घोषणा पत्रों के स्थान पर प्रतिस्थानिक नया प्रपत्र प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि व्यवसायी को तब तक नया प्रपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा जब तक उसे जारी पुराने प्रपत्रों का संतोषजनक लेखा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता हो एवं उपयोग नहीं किये गये घोषणा पत्र, यदि कोई हो तो, को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को वापस नहीं कर दिया जाता हो।''

5. विधिमान्यकरण एवं व्यावृत्ति–

(i) केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9, नियम 9क एवं 9ग में किये गये संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु 2012 के जुलाई की चौथी तारीख के प्रभाव से, सभी तात्विक समय से विधिमान्यत: एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझे जाऐंगे।

(ii) उक्त नियमावली के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(सं० सं०–बिक्री-कर/संशोधन–05/2016–**3842**)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सुजाता चतुर्वेदी
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 832) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएँ

7 अक्तूबर 2016

एस. ओ. 265, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 – बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते है :-

संशोधन

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के अधीन विहित प्रपत्र प्र० क०-I में संशोधन :- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के अधीन विहित प्रपत्र प्र० क०-I की क्रम सं० 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं० 1क, 1ख, एवं 1ग जोड़ी जायेगी, यथा–

''1 क. पैन
1 ख. मोबाईल संख्या
1 ग. ई-मेल आई०डी०''

(सं० सं०–बिक्री-कर/संशोधन–03/2016–**3848**)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सुजाता चतुर्वेदी
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव

15 आश्विन 1938 (श०)
(सं० पटना 833) पटना, शुक्रवार, 7 अक्तूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएँ

7 अक्तूबर 2016

एस. ओ. 267, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 – बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते है :-

संशोधन

बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 के अधीन विहित प्रपत्र एल०टी०-I में संशोधन :- होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988 के अधीन विहित प्रपत्र एल0टी0-I की क्रम सं० 1 (ख) के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1ग, 1घ, एवं 1ड तुरत के प्रभाव से जोड़ी जायेंगी, यथा-

''1ग. पैन
1घ. मोबाईल संख्या
1ड. ई-मेल आई०डी०''

(सं० सं०–बिक्री-कर/संशोधन–03/2016–**3850**)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से
सुजाता चतुर्वेदी
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव

सूचना

वाणिज्य-कर विभाग की मनोरंजन कर संबंधित अधिसूचनाएँ एस. ओ 269, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 / बिहार विद्युत शुल्क, अधिनियम, 1948 में संशोधन संबंधित अधिसूचना एस0 ओ0 271, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 / बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 में संशोधन संबंधित अधिसूचना एस0 ओ0 273, दिनांक 7 अक्तूबर 2016 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 एस. ओ. 275, दिनांक 7 अक्तूबर 2016, जो निर्बंधित डेवलपर्स से संबंधित है, चैम्बर कार्यालय में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

1 October
Shri Ashok Kr Gupta
M/s Gupta & Harry

2 Oct
Shri Pawan Kr Agarwal
North Western Bihar Chamber of Commerce

2 Oct
Shri Surendra M. Gupta
M/s Patna Surgical Works

3 Oct
Shri Sanjay Agarwal
M/s Savera

4 Oct
Shri Pravin Kr Sinha
M/s Balajee Enterprises

4 Oct
Shri Subhash Patwari
M/s Patwari Udyog

4 Oct
Shri Pawan Kr Bhagat
M/s Tirupati Agencies

5 Oct
Shri Nand K Agarwal
M/s Tradewel India Sales Pvt. Ltd.

7 Oct
Shri Anup Kr Kakrania
North Bihar Chamber of Com. & Industries

8 Oct
Shri Navin Gupta
M/s Krishna Agencies Pvt. Ltd.

9 Oct
Shri Parsan Kr Singh
Bihar Chemists & Druggists Association

12 Oct
Shri Navin Kr Motani
M/s L. N. Sales Pvt. Ltd

14 Oct
Shri Madan M Maheshwary
North Bihar Chamber of Com. & Industries

16 Oct
Shri Pramod Kumar
M/s Barnwal Jewellers

16 Oct
Shri Shailendra K Banka
M/s Shree Maruti Steels

19 Oct
Shri Om Prakash Tibrewal
M/s N. M. Enterprises

19 Oct
Shri Prakash Sahay
Advocate

19 Oct
Shri Narayan Prakash sah
M/s S. B. M. Enterprises

21 Oct
Shri Gopal Krishna
M/s Aggar Security Services (I) Pvt. Ltd.

23 Oct
Shri Sudhir Kr Garodia
M/s Sri Bishwanath Balkrishna

28 Oct
Shri Ashok Kumar
M/s Jagdish Engg. Co

29 Oct
Shri Binod Kumar
Patliputra Sarafa Sangh

29 Oct
Shri Ramesh Ch. Gupta
M/s Shiva Polytubes Pvt. Ltd

मान्नीय सदस्यों से आग्रह है कि वे भी अपना जन्मदिन रंगीन फोटो के साथ हमें भेजने की कृपा करें ताकि उनका जन्मदिन भी समयानुसार बुलेटिन में प्रकाशित कर शुभकामनाएं दी जा सके।

– शशि मोहन, महामंत्री

विनम्र निवेदन

1. कुछ सदस्य वर्ष 2016-17 का सदस्यता शुल्क अभी तक नहीं भेज पाये हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें।
2. पूर्व में माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि यदि उनके फोन नम्बर, ई-मेल आईडी में कोई परिवर्तन हो गया हो तो कृपया हमें लिखित सूचना दें ताकि चैम्बर के अभिलेख में भी सुधार किया जा सके।

छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।

– शशि मोहन, महामंत्री

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org